[2021] 7 एस.सी.आर. 332

सदाकत कोटवार और एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1316)

12 नवंबर, 2021

[एम.आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860: धारा 307 के साथ सहपठित धारा 34 - शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर घाव - अभियोजन का मामला था कि अपीलार्थी संख्या 1 ने पी.डब्लू.7 पर उसकी पसलियों में खंजर से वेधन किया और अपीलार्थी संख्या 2 ने पी.डब्लू.8 को उसके पेट के दाईं ओर और बाईं पसलियों पर खंजर से वेधन किया - विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों-अभियुक्तों को धारा 307 के साथ सहपठित धारा 34, के तहत अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को बनाए रखा - अपील पर, अभिनिर्धारित किया: गवाहों, विशेष रूप से पी.डब्ल्यू.7 और पी.डब्ल्यू.8, जो घायल चश्मदीद गवाह थे, के परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था - यह अपीलार्थियों-अभियुक्तों का मामला नहीं था कि अपराध अचानक हुए झगड़े के कारण से हुआ था या कि क्षणभर की गर्मी में प्रहार किया गया था - क्योंकि घातक हथियारों का उपयोग किया गया था और घाव गंभीर प्रकृति के थे जिससे छाती और पेट के पास घाव हुए थे, जिन्हें शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है, अपीलार्थियों को धारा 307, जिसे धारा 34 के साथ पढ़ा जाए, के तहत सही रूप से सिद्धोष ठहराया गया था - अपीलार्थियों का सिद्धोष ठहराते हुए निचली न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है|

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

अभिनिर्धारित किया: यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि अपराध अचानक हुए झगड़े के कारण हुआ। यह भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रहार क्षणभर की गर्मी में किया गया था। इसके विपरीत, पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 के बयानों पर विचार करते हुए, आरोपी व्यक्तियों ने पी.डब्लू.7 के पति को धक्का देकर घर से बाहर ले गए और उसके बाद आरोपी ने पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 को घाव पहुंचाए और खंजर से वेधन किया। इस प्रकार, घातक हथियारों का उपयोग किया गया

और घाव गंभीर प्रकृति की पाए गए हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों के आधार पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके इरादे का पता इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और घाव की प्रकृति से लगाया जाना चाहिए। उक्त सिद्धांतों पर इस मामले पर विचार करते हुए, जबकि घातक हथियार-खंजर का उपयोग किया गया है, वहाँ पेट पर और छाती के पास वेधन से घाव थे जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कहा जा सकता है और किए गए घावों की प्रकृति से, यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थियों ने आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत अपराध किया है। [पैरा 4] [335-एफ-एच; 336-ए-बी]

एम.पी. राज्य बनाम मानसिंह **(2003) 10 एस.सी.सी. 414: [2003] 2 पूरक एस.सी.आर. 460 - पर भरोसा किया गया।**

जय नारायण मिश्रा और अन्य बनाम बिहार राज्य **(1971) 3 एस.सी.सी. 762 - लागू नहीं हुआ।**

महेश बाल्मिकी बनाम एम.पी. राज्य **(2000) 1 एस.सी.सी. 319 - को संदर्भित किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2003] 2 पूरक एस.सी.आर. 460	**पर भरोसा किया**	**पैरा 2**
(2000) 1 एस.सी.सी. 319	**को संदर्भित किया**	**पैरा 4**
(1971) 3 एस.सी.सी. 762	**लागू नहीं हुआ**	**पैरा 5**

आपराधिक अपील अधिकारिता: 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1316

2004 के आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 393 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.07.2019 के निर्णय और आदेश से।

श्री प्रकाश सिन्हा, सुश्री महुआ सिन्हा, राकेश मिश्रा, नवलेंद्र कुमार, शेखर कुमार, अधिवक्तागण, अपीलार्थियों के लिए।

अरुणाभ चौधरी, ए.ए.जी., सुश्री बरनाली चौधरी, सुश्री प्रज्ञा बघेल, शांतनु सागर, विष्णु शर्मा, अभिषेक रॉय, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति:

1. 2004 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 393 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 307, के साथ सहपठित धारा 34, के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखा है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ आई.पी.सी. की धारा 307, के साथ सहपठित धारा 34, के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार अभियोजन के मामले के समर्थन में सभी 10 गवाहों का परीक्षण किया है, जिनमें से दो घायल चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 हैं। उन दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए गए अन्य गवाह यानी पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2, पी.डब्लू.4 और पी.डब्लू.10 भी अपने बयानों में सुसंगत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी संख्या 2-रेफाज़ कोटवार ने पी.डब्लू.8-मोहम्मद जमील कोटवार के पेट पर दाहिनी ओर और बाईं पसलियों पर खंजर से वेधन किया और उस पी.डब्लू.7 पर भी अपीलार्थी संख्या 1-सदाकत कोटवार ने उसकी पसलियों में खंजर से वेधन किया था। हम अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों के परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, विशेष रूप से पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 जो घायल चश्मदीद गवाह हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 घायल चश्मदीद गवाह हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **एम.पी. राज्य बनाम मानसिंह,** (2003) 10 एस.सी.सी. 414 पैरा 9, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, एक घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का बहुत प्रमाणिक मूल्य है और जब तक कि बाध्यकारी कारण मौजूद नहीं हैं, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। निचली न्यायालयों द्वारा अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त को सिद्धोष ठहराते हुए समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3. अब जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि अधिक से अधिक मामला आई.पी.सी. की धारा 323 के तहत आ सकता है और इसलिए, निचली न्यायालयों ने आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में गलती की है, यह अपीलार्थियों की ओर से मामला है कि यह एक ही प्रहार/घाव का मामला था। हालाँकि, यह ध्यान रखना

आवश्यक है कि एक ही प्रहार से घाव शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी पेट और छाती के पास था। घाव की प्रकृति एक तेज काटने वाले हथियार के कारण होने वाली गंभीर क्षति है। जमील कोटवार पर निम्नलिखित घाव पाए गए:

"कटाव का घाव 1"x1"x मांसपेशी गहरा, रक्त रचना के साथ 4"x3" के क्षेत्र का 4वें और 5वें पसलियों के बीच स्थान में बायें अक्ष के काख के क्षेत्र पर।"

समसेरा बीबी पर निम्नलिखित घाव पाए गए:

"कटाव का घाव 1"x1/2"x फुफ्फुस के आवरण गहरा 8वीं पसली के क्षेत्र में बाईं आधी क्लेरीकुलर लाइन के बीच"

इस प्रकार, घावों की प्रकृति तेज काटने वाले उपकरण के कारण गंभीर पाई गई।

4. महेश बाल्मीकि बनाम एम. पी. राज्य, (2000) 1 एस.सी.सी. 319 के मामले में पैराग्राफ 9 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"9. .....ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि एक प्रहार के सभी मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आकर्षित नहीं होती है। एक ही प्रहार, कुछ मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत, कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत और कुछ अन्य मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत सिद्धदोष ठहराया जा सकता है। अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न का निर्धारण तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। घाव की प्रकृति, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण या गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर हो, उपयोग किया गया हथियार, जिन परिस्थितियों में घाव हुआ है और जिस तरह से घाव हुआ है, वे सभी प्रासंगिक कारक हैं जो अपराधी और उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में आवश्यक इरादे या ज्ञान को निर्धारित करने के लिए, लिए जा सकते हैं। तत्काल मामले में, मृतक को खुद को बचाने से अक्षम कर दिया गया था क्योंकि उसे अपीलार्थी के सहयोगियों ने पकड़ लिया था, जिन्होंने ऊपर वर्णित विवरण का एक ही लेकिन घातक प्रहार किया था। ये तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृतक को जान से मारने का था। किसी भी स्थिति में, उसे सुरक्षित रूप से इस ज्ञान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसके द्वारा दिया गया खंजर-प्रहार इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है।"

4.1 यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि अपराध अचानक हुए झगड़े के कारण हुआ हो। यह भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रहार क्षणभर की गर्मी में किया गया था। इसके विपरीत, पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 के बयानों पर विचार करते हुए आरोपी व्यक्तियों ने पी.डब्लू.7 के पति को धक्का देकर घर से बाहर ले गए और उसके बाद आरोपी ने पी.डब्लू.7 और पी.डब्लू.8 पर घाव पहुंचाए और खंजर से प्रहार किया। इस प्रकार, घातक हथियारों का उपयोग किया गया है और घाव गंभीर प्रकृति की पाए गए हैं। चूँकि घातक हथियार का उपयोग छाती और पेट के पास घाव के लिए किया गया है, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कहा जा सकता है, इसलिए अपीलार्थियों को आई.पी.सी. की धारा 307, जो धारा 34 के साथ पढ़ी जाए, के तहत अपराध के लिए उचित रूप से सिद्धदोष ठहराया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अवलोकन तथा अभिनिर्धारित किया गया है कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके इरादे का पता इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और घाव की प्रकृति से लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों पर इस मामले को ध्यान में रखते हुए, जब घातक हथियार-खंजर का उपयोग किया गया है, वहाँ पेट पर और छाती के पास वेधन से घाव था जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कहा जा सकता है और और किए गए घाव की प्रकृति से, यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थियों ने आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत अपराध किया है।

5. हम विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। अब जहां तक **जय नारायण मिश्र और अन्य बनाम बिहार राज्य,** (1971) 3 एस.सी.सी. 762 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसे का संबंध है, तथ्यों पर ऐसा निर्णय विशेष रूप से बाद के निर्णयों के साथ-साथ उपयोग किए गए हथियार, शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर होने वाली चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होगा।

उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और यह खारिज किए जाने लायक है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल याचिका खारिज कर दी गई।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.